संख्या–40/ /XVI(1)/11/7(2)/10 T.C.

प्रेषक,

विनोद फोनिया,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण उत्तरखण्ड,
उद्यान भवन,चौबटिया–रानीखेत।

उद्यान एवं रेशम अनुभागः–1 देहरादूनः दिनांक 15 मार्च,2011

विषयः– वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–29 के आयोजनागत पक्ष के "राजकीय उद्यानों के सुदृढीकरण" योजना की 24–वृहद निर्माण कार्य मद के अन्तर्गत "राजकीय उद्यान,सर्किट हाउस देहरादून के परिक्षेत्र में सुरक्षा घेरबाड़" के कियान्वयन हेतु प्रशासनिक स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधिशासी अभियन्ता,यमुना निर्माण खण्ड–2, सिंचाई विभाग, देहरादून के पत्र संख्या–1978/य0नि0ख0–2/उद्यान, दिनांक–21–12–2010 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है,कि चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–29 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष के "राजकीय उद्यानों के सुदृढीकरण" योजना की 24–वृहद निर्माण कार्य मद में शासनादेश संख्या–392/XVI/10/7(2)/2010, दिनांक–02 जून,2010 के द्वारा ₹–70.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी, लेकिन इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी निर्माण कार्य की योजना स्वीकृत नहीं की गई थी। "राजकीय उद्यान,सर्किट हाउस देहरादून के परिक्षेत्र में सुरक्षा घेरबाड़" निर्माण कार्य की टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षित लागत ₹–84.24 लाख है। अतः इस निर्माण कार्य के कियान्वयन की प्रशासनिक स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तानुसार सहर्ष प्रदान करते हैः–

(1) कार्य करने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शेड्यूल ऑफ रेटस में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गई हों, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता/सक्षम अधिकारी से अनुमोदित करना आवश्यक होगा।

(2) कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता/सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगी।

(3) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाए।

(4) एक मुश्त प्राविधानों को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर सक्षम अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय।

(5) कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लो0नि0वि0 द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

(6) कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता (कार्य की आवश्यकतानुसार) से कार्य स्थल का भली–भॉति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाए तथा निरीक्षण के पश्चात् दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाए।

(7) निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाए तथा उपयुक्त सामग्री को ही प्रयोग में लायी जाए।

(8) मुख्य सचिव,उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV-219(2006), दिनांक–30–05–2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कडाई से पालन करने का कष्ट करें।

(9) आगणन गठित करते समय तथा कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व उत्तराखण्ड प्रक्योरमेन्ट नियमावली,2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

(10) उक्त व्यय करते समय वित्त अनुभाग–1,उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–187/XXVII(1)/2010,दिनांक–30 मार्च,2010 के द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों तथा वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत अन्य दिशा–निर्देशों एवं बजट मैनुअल के सुसंगत नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(11) व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत शासकीय तथा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक हो वहॉ व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(12) व्यय केवल उन्हीं मदों में किया जाय, जिनके लिए यह स्वीकृति निर्गत की जा रही है, साथ ही किसी भी प्रकार के मद परिवर्तन का अधिकार विभाग के पास नहीं रहेगा।

(13) आहरण वितरण अधिकारियों तथा कोषाधिकारियों को अवमुक्त धनराशियों का विवरण बी0एम0–17 में प्रत्येक माह वित्त विभाग को अवश्य उपलब्ध कराई जाय।

कमशः——2

(14) योजनावार व्यय की सूचना प्रपत्र बी0एम0–13 पर प्रत्येक माह की 20 तारीख तक वित्त विभाग को अवश्य उपलब्ध कराई जाय तथा धनराशि का आहरण/व्यय एकमुश्त न करके परिव्यय की सीमान्तर्गत वास्तविक आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।

(15) योजनावार स्वीकृत धनराशि का व्यय सम्बन्धित योजना के संगत दिशा–निर्देशों के अनुरूप ही की जायेगी। किसी भी दशा में संगत दिशा–निर्देशों से इतर कार्यवाही नहीं की जायेगी।

(16) शासनादेश संख्या–392/XVI/10/7(2)/2010, दिनांक–02 जून,2010 के द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि ₹ 70.00 लाख व्यय होने के उपरान्त अवशेष धनराशि ₹ 18.24 लाख अवमुक्त की जायेगी।

(17) इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–29 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–2401–फसल कृषि कर्म–119–बागवानी और सब्जियों की फसलें–03–औद्यानिक विकास–0303–राजकीय उद्यानों का सुदृढीकरण–24–वृहद निर्माण कार्य से वहन किया जायेगा।

भवदीय,

(विनोद फोनिया)
सचिव।

संख्या– 1401 /XVI(1)/11/7(2)/10, तददिनांकः

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिग माजरा, देहरादून।
2– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3– जिलाधिकारी,देहरादून उत्तराखण्ड।
4– मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी,देहरादून।
5– वित्त अनुभाग–4/नियोजन अनुभाग,उत्तराखण्ड शासन।
6– अधिशासी अभियन्ता,यमुना निर्माण खण्ड–2, सिंचाई विभाग, देहरादून के पत्र संख्या–1978/य0नि0 ख0–2/उद्यान,–दिनांक–21–12–2010 के सन्दर्भ।
7– बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय,सचिवालय परिसर,देहरादून।
8– राज्य योजना आयोग,देहरादून,उत्तराखण्ड।
9– राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
10–गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(के0पी0पाटनी)
अनु सचिव।